



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-05122025-268272
CG-MH-E-05122025-268272

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 783]
No. 783]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 3, 2025/अग्रहायण 12, 1947

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 3, 2025/AGRAHAYANA 12, 1947

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 3 दिसम्बर, 2025

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

(रजिस्ट्री डाक के स्थान पर स्पीड पोस्ट) (संशोधन) विनियम, 2025

फा. सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/281.— बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 और धारा 19 के साथ पठित धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सामूहिक विनिधान स्कीम) विनियम, 1999, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अनृजु व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध) विनियम, 2003, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रजिस्ट्री डाक के स्थान पर स्पीड पोस्ट) (संशोधन) विनियम, 2025 कहा जा सकेगा।

2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सामूहिक विनिधान स्कीम) विनियम, 1999 में संशोधन

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सामूहिक विनिधान स्कीम) विनियम, 1999 में,-

I. अध्याय-V में, विनियम 31 में, उप-विनियम (3) में, शब्दों “रसीदी रजिस्ट्री डाक” के स्थान पर शब्द “रसीदी रजिस्ट्री स्पीड पोस्ट” आ जाएँगे।

II. छठी अनुसूची में,

- i. पैरा-4 में, खंड (ii) में, शब्दों तथा चिह्नों “रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा प्रतिदाय आदेशों / आवंटन पत्रों / प्रमाणपत्रों के प्रेषण के लिए अपेक्षित निधियाँ सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी द्वारा निर्गम रजिस्ट्रार को उपलब्ध करायी जायेगी” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “रिफंड ऑर्डर (प्रतिदाय आदेशों) / अलॉटमेंट लेटर (आवंटन पत्रों) / प्रमाणपत्रों को रजिस्ट्री स्पीड पोस्ट द्वारा प्रेषित करने में जितनी रकम का खर्च आएगा, उतनी रकम सामूहिक निवेश प्रबंध कंपनी (कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी) द्वारा इश्यू के रजिस्ट्रार (निर्गम रजिस्ट्रार) को दी जाएगी” आ जाएँगे;
- ii. पैरा-17 में, शब्दों, अंक तथा चिह्नों “न्यासी 1500/- रु. से अधिक मूल्य के प्रतिदाय आदेशों और यूनिट प्रमाणपत्रों को केवल रजिस्ट्रीकृत डाक से प्रेषण सुनिश्चित करेगी और इस प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रारों को पर्याप्त निधियाँ उपलब्ध करायी जायेगी” के स्थान पर शब्द, चिह्न तथा अंक “ट्रस्टी (न्यासी) यह सुनिश्चित करेगा कि रिफंड ऑर्डर (प्रतिदाय आदेश) [जहाँ मूल्य रु.1500/- से अधिक हो] और यूनिट प्रमाणपत्र केवल रजिस्ट्री स्पीड पोस्ट द्वारा ही प्रेषित किए जाएँ और जिस पर होने वाले खर्च के लिए पर्याप्त रकम रजिस्ट्रारों को दी जाए” आ जाएँगे;
- iii. पैरा-30 में, खंड (v) में, शब्दों तथा चिह्नों “उन स्थानों से जहाँ आज्ञापक संग्रहण केंद्र और प्राधिकृत संग्रहण एजेंट अवस्थित हैं, भिन्न स्थानों के विनिधानकर्ता उनके आवेदन स्टॉक इन्वेस्टों के साथ रजिस्ट्री रसीदी डाक द्वारा सीधे निर्गम रजिस्ट्रारों को भेज सकते हैं और ऐसे आवेदनों को निर्गम रजिस्ट्रार द्वारा सामान्य प्रकार से बरता जायेगा” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “जिन स्थानों पर अनिवार्य कलेक्शन सेंटर (संग्रहण केंद्र) और प्राधिकृत कलेक्शन एजेंट (संग्रहण एजेंट) हों, उन स्थानों से भिन्न स्थानों से निवेशक अपने आवेदन (स्टॉक इन्वेस्ट के साथ) रसीदी रजिस्ट्री स्पीड पोस्ट द्वारा सीधे इश्यू के रजिस्ट्रार (निर्गम रजिस्ट्रार) के पास भिजवा सकते हैं, और उन आवेदनों के संबंध में इश्यू के रजिस्ट्रार द्वारा कार्यवाही उसी तरह की जाएगी जैसे आम तौर पर प्राप्त होने वाले आवेदनों के मामले में की जाती है” आ जाएँगे; और
- iv. पैरा-34 में, खंड 34.2 में, शब्दों तथा चिह्नों “सामूहिक विनिधान प्रबंध कंपनी सुनिश्चित करेगी कि प्रतिदाय आदेशों / आवंटन पत्रों / शेयर प्रमाणपत्रों का प्रेषण यथाप्रयोज्य रजिस्ट्रीकृत डाक / डाक में डाले जाने के प्रमाणपत्र के रूप में किया जाता है” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “सामूहिक निवेश प्रबंध कंपनी (कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी) यह सुनिश्चित करेगी कि रिफंड ऑर्डर (प्रतिदाय आदेश) / अलॉटमेंट लेटर (आवंटन पत्र) / शेयर प्रमाणपत्र रजिस्ट्री स्पीड पोस्ट द्वारा / सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग प्राप्त करके (जो भी लागू हो) प्रेषित किए जाएँ” आ जाएँगे।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अऋजु व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध) विनियम, 2003 में संशोधन

4. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अऋजु व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध) विनियम, 2003 में,-

I. अध्याय-III में, विनियम 11क में, उप-विनियम (1) में,

- i. खंड (ख) में, शब्दों “रजिस्ट्री डाक” के स्थान पर शब्द “रजिस्ट्री स्पीड पोस्ट” आ जाएँगे; और
- ii. खंड (ख) के परंतुक में, शब्दों “रजिस्ट्री डाक” के स्थान पर शब्द “रजिस्ट्री स्पीड पोस्ट” आ जाएँगे।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 में संशोधन

5. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 में,-

I. अध्याय-VI में, विनियम 34 में, उप-विनियम (1) में, खंड (ख) में, शब्दों तथा चिह्नों “परिदान (डिलीवरी) द्वारा बोर्ड के रिकार्ड में उपलब्ध पते पर और उस व्यक्ति या उसके सम्यक् रूप से प्राधिकृत एजेंट को संबोधित, रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा या स्पीड पोस्ट द्वारा या ऐसी कोरियर सेवा द्वारा या इलेक्ट्रोनिक मेल सेवा द्वारा या पारेषण के किन्हीं अन्य साधनों द्वारा जो परिदान का रिकार्ड प्रदान करते हों कि जा सकेगी” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “बोर्ड के रिकॉर्ड में उपलब्ध पते पर और उस व्यक्ति के नाम पर या उसके द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत किए गए एजेंट के नाम पर, रसीदी रजिस्ट्री स्पीड पोस्ट द्वारा या स्पीड पोस्ट द्वारा अथवा ऐसे कुरियर द्वारा या ईमेल द्वारा या ऐसे किसी दूसरे माध्यम से डिलीवरी करके की जाएगी जिसमें डिलीवरी का रिकॉर्ड मिल जाता हो” आ जाएँगे।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 में संशोधन

6. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 में,-

I. अध्याय-III में, भाग-VII में विनियम 77 में, उप-विनियम (2) में, शब्दों “रजिस्ट्रीकृत डाक” के स्थान पर शब्द “रजिस्ट्री स्पीड पोस्ट” आ जाएँगे।

II. अध्याय-VIII में,

- i. विनियम 222 में, उप-विनियम (1) में, शब्दों “रजिस्ट्रीकृत डाक” के स्थान पर शब्द “रजिस्ट्री स्पीड पोस्ट” आ जाएँगे; और
- ii. विनियम 223 में, उप-विनियम (1) में, खंड (ङ) में, शब्दों “रजिस्ट्रीकृत डाक” के स्थान पर शब्द “रजिस्ट्री स्पीड पोस्ट” आ जाएँगे।

III. अनुसूची-VI में,

- i. भाग-क में, खंड (15) में, उप-खंड (ख) में, मद (24) में, उप-मद (ग) में, क्रम सं. (ii) में, शब्दों तथा चिह्नों “रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा धन-वापसी आदेशों के प्रेषण द्वारा / एएसबीए के मामले में रुद्धता हटा कर” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “रजिस्ट्री स्पीड पोस्ट द्वारा रिफंड ऑर्डर (धन-वापसी आदेशों) को प्रेषित करके / अस्वा (एएसबीए) के मामले में ब्लॉक की गई रकम को अनब्लॉक करके (रुद्धता हटाकर)” आ जाएँगे; और

- ii. भाग-ख में, खंड (1) में, उप-खंड (XVIII) में, मद (6) में, उप-मद (ग) में, क्रम सं. (iii) में, शब्दों “रजिस्ट्री डाक” के स्थान पर शब्द “रजिस्ट्री स्पीड पोस्ट” आ जाएँगे।

अमित प्रधान, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./519/2025-26]

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 3rd December, 2025

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTITUTION OF REGISTERED POST WITH SPEED POST) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2025

F. No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/281.— In exercise of the powers conferred by section 30 read with section 11 and section 19 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Collective Investment Schemes) Regulations, 1999, Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices relating to Securities Market) Regulations, 2003, Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008 and the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, namely,—

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Substitution of Registered Post with Speed Post) (Amendment) Regulations, 2025.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Collective Investment Schemes) Regulations, 1999

3. In the Securities and Exchange Board of India (Collective Investment Schemes) Regulations, 1999, -

- I. In Chapter V, in regulation 31, in sub-regulation (3), the words and symbols “Registered A.D.” shall be substituted with “Speed Post with Registration with Acknowledgment Due”.
- II. In the Sixth Schedule,
 - i. in paragraph 4, in clause (ii), the words “registered post” shall be substituted with “Speed Post with Registration”;
 - ii. in paragraph 17, the words “Registered Post” shall be substituted with “Speed Post with Registration”;
 - iii. in paragraph 30, in clause (v), the words “Registered Post with Acknowledgement Due” shall be substituted with “Speed Post with Registration with Acknowledgment Due”; and
 - iv. in paragraph 34, in clause 34.2, the words “registered post” shall be substituted with “Speed Post with Registration”.

Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices relating to Securities Market) Regulations, 2003

4. In the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices relating to Securities Market) Regulations, 2003, -
 - I. In Chapter III, in regulation 11A, in sub-regulation (1),
 - i. in clause (b), the words “registered post” shall be substituted with “Speed Post with Registration”; and

- ii. in the proviso to clause (b), the words “registered post” shall be substituted with “Speed Post with Registration”.

Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008

5. In the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008, -

- I. In Chapter VI, in regulation 34, in sub-regulation (1), in clause (b), the words “registered post acknowledgement due” shall be substituted with “Speed Post with Registration with Acknowledgment Due”.

Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018

6. In the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018,-

- I. In Chapter III, in Part VII, in regulation 77, in sub-regulation (2), the words “registered post” shall be substituted with “Speed Post with Registration”.

II. In Chapter VIII,

- i. in regulation 222, in sub-regulation (1), the words “registered post” shall be substituted with “Speed Post with Registration”; and
- ii. in regulation 223, in sub-regulation (1), in clause (e), the words “registered post” shall be substituted with “Speed Post with Registration”.

III. In Schedule VI,

- i. in Part A, in clause (15), in sub-clause (B), in item (24), in sub-item (c), in point (ii), the words “registered post” shall be substituted with “Speed Post with Registration”; and
- ii. in Part B, in clause (1), in sub-clause (XVIII), in item (6), in sub-item (c), in point (iii), the words “registered post” shall be substituted with “Speed Post with Registration”.

AMIT PRADHAN , Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./519/2025-26]